न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2023/155

मांगीलाल पुत्र रामलाल जाति माली निवासी होली का खुट, माली मोहल्ला, सुकेत तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज.

––अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल आत्मज डालू जाति माली निवासी होली कां खुट, माली मोहल्ला, – सुकेत तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा राज.
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति वक्त बहस – – (1) प्रद्युम्न शर्मा अधिवक्ता अपीलांगण
(2) उत्पल शर्मा – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1
(3). पैरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट 2

निर्णय **दिनांक: 13.10.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 55 / 2011 मे पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53. 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी के माल में खाता सं0 330 में आराजी ख0 नं0 566 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन कुआ, ख0 नं0 567 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म चाही ख0 नं0 609 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म माल कुल किता रकबा कुल 1.26 हैक्टर स्थित है जिसके पुराने ख0 नं0 230 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा थे जो हाल ही में की गई सेटिलमेन्ट द्वारा बदले गये है। नकल जमाबंदी व खसरा गिरदावरी व नक्शा लठ्ठा साथ संलग्न है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 01 का 1/2 हिस्सा खाता मुताबिक जमाबंदी कायम है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 01 ने मौके पर आपसी तरिफया भूमि का बंटवारा कर रखा है। परंतु वादी एवं प्रतिवादी के बीच बराबर की भूमि हिस्से में नहीं आने से भूमि काश्त करते समय एवं लगान जमा करवाते समय अक्सर विवाद होता रहता है एवं वादी अपनी भूमि से इच्छानुसार विकास कार्य भी नहीं करवा सकता अपनी भूमि को उन्नत नहीं कर सकता पानी के स्त्रोत नहीं बढा सकता। वादी ने उपरोक्त कारण से प्रतिवादी ने अप्रैल माह में अपना खाता अलग अलग करवाने के लिए कहा एवं बराबर की भूमि काश्त करने के लिए कहा तो

प्रतिवादी ने इंकार कर दिया। वादी एवं प्रतिवादी के खाते अलग अलग नहीं होने से वादी को अनावश्यक परेशानी हो रही है वह अपनी भूमि को उन्नत नहीं कर सकता विकास कार्य नहीं कर सकता। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय से अपना खाता अलग अलग करवाने एवं उसी अनुसार रेवेन्यु रिकार्ड में अमल दरामद करने एवं उसी अनुसार कब्जा प्राप्त करने की डिक्री पारित करावे। वाद कारण माह अप्रैल में वादी प्रतिवादी को अपना खाता अलग अलग कराने की कहने पर उसके द्वारा इन्कार करने पर पैदा हुआ। वाद का मुल्यांकन वास्ते अधिकार क्षेत्र किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश की। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि वादी के हक में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि वाद पत्र में वर्णित मद नं0 01 में आराजीयात का खाता विभाजन किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी का भी 1/2 हिस्सा खाता अलग अलग कायम किया जावे एवं उसी के अनुसार रेवेन्यु रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं लगान राज कायम किया जावे एवं उसी अनुसार कब्जा दिलाया जावे। उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प सुकेत में उभयपक्षकारों की उपस्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2015 पारित की।

3. इसके पश्चात् प्रार्थी वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 01 एवं धारा 151, 152 जा0 दी0 प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थना पर सुनवाई कर विचारण न्यायालय ने संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2023 पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2021 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2021 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि यह कि प्रार्थी द्वारा अन्तिम डिक्री की अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं जिसे प्रस्तुत करने में हुई देरी को डिले कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पारित डिक्री दिनांक 07.01.2021 की नकल प्राप्त करने में देरी का कारण रहा कि प्रार्थी उस समय अक्सर वृद्धावस्था होने एवं किडनी की दिक्कत होने से ग्रसित था जिसके दवा पर्चे

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिससे वह अपने अधिवक्ता से इस सम्बन्ध में प्रोपर जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। जिससे अन्तिम डिक्री में हुये अन्याय पूर्वक कृत्य की जानकारी प्रार्थी को नही हो सकी एवं प्रार्थी जब स्वस्थ होकर अधिवक्ता से जानकारी कर उक्त पारित डिक्री की नकल दिनांक 25.01.2022 को लिये जाने तत्पश्चात अविलम्ब न्यायालय में अपील प्रस्तुत हैं। उक्त अपील प्रस्तुत करने में प्रार्थी को हुई देरी को डिले कंडोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील को प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी को डिले कंडोन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी जिला कोटा के यहां रेस्पोडेन्ट / वादी मोहनलाल द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 आर. टी. एक्ट प्रस्तुत किया गया जिसमे वादी द्वारा आलेखित किया गया था, कि ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमंडी के माल खसरा नं0 566 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन कुआ, खसरा नं0 567 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म चाही, खसरा नं0 609 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म माल कूल किता रकबा 1.26 हेक्टर स्थित हैं, के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी व प्रतिवादी / अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित था। उक्त कृषि आराजी वादी, प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि आराजी होने से बंटवारा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था, जहां पर दिनांक 19.06.2015 को मिसल नम्बर 55/2011 को निर्णय एवं डिक्री किया जाकर दिनांक 19.06.2015 के निर्णय की पालना में तहसीलदार को बंटवारा हेतु अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का आदेश दिया गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07.01.2021 को संशोधित अन्तिम डिक्री पारित की गई जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो को समस्त कृषि आराजी के सम्बन्धित खसरा की कृषि भूमि में से 1/ 21 / 2 हिस्सा दिया जाना निहित था परन्तु अन्तिम डिक्री में रेस्पोडेन्ट कम 1 को उक्त कृषि आराजी में सबसे अच्छी भूमि खसरा सं. 567 में से अपीलांट की अपेक्षा रेस्पोडेन्ट कम 1 को अधिक भूमि दी गई। अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस की उक्त समस्त कृषि आराजी पैतृक सम्पति होने से बंटवारा किये जाने पर समस्त सम्पत्ति में से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट आधे–आधे हिस्से की हिस्सेदारी प्राप्त करने के कानूनी अधिकार है। उक्त तथ्यों की अनदेखी किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है जो कि निरस्तनीय है। अपीलांट/प्रतिवादी ज्यादा पढ़ा–लिखा नही होने से एवं सीधे स्वभाव वाला व्यक्ति होने से एवं पूर्णतया वादी पर पूर्ण भरोसा करते हुये उक्त बंटवारे के वाद में इस उम्मीद पर कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद के अनुसार बराबर–बराबर भूमि दोनो पक्षकारो में कृषि आराजी के समस्त खसरा नम्बर से दी जावेगी जिससे अपीलांट अन्तिम डिक्री के समय सहमति कृषि जोत बंटवारा हेतू मौके पर उपस्थित हुआ जहां पर उसके साथ पूर्णतया अन्यायपूर्वक कार्य किया गया जो कि उसे बाद में जानकारी करने पर ही पता चल पाया। जिससे इस सम्बन्ध में जानकारी होने पर अविलम्ब अन्तिम निर्णय की डिक्री की नकल ली जाकर माननीय न्यायालय में उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। इसके अन्तर्गत धारा 53, 54 आर. टी. एक्ट में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जिसमें कानून संगत सिद्धान्त है कि अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी कृषि आराजी में से समस्त पक्षकारान को उसमें निहित हिस्सा दिया जाना न्यायसंगत होता है। उक्त तथ्यों की अनदेखी की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिकी

पारित की गई है जो कि निरस्तनीय है। अपीलांट की उक्त कृषि आराजी पैतृक कृषि आराजी होने के कारण उसमें निहित 1/2 हिस्से को पाने का कानूनी अधिकारी हैं एवं कानूनी बिन्दुओं के दृष्टिगत रखते हुये उक्ता बंटवारा डिक्री को प्रोपर किये जाकर अपीलांट को उसे हिस्से की 1/2 कृषि आराजी संभलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त अन्तिम डिक्री की नकल क्योकि अपीलांट एक गरीब व्यक्ति होने एवं अत्यधिक अस्वस्थ्य बीमार रहने से जानकारी नही होने के कारण नही ले पाया जिससे अपील प्रस्तुत करने में देरी हो चुकी है। जिसे डिले कंडोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा के यहां रेस्पोडेन्ट / वादी मोहनलाल द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 आर.टी. एक्ट प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी द्वारा आलेखित किया गया था कि ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी के माल खसरा नं0–566 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन कुंआ, खसरा नं0–567 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म चाही, खसरा नं0–609 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म माल कुल किता रकबा 1.26 हेक्टर स्थित हैं, के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी व प्रतिवादी / अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित था। उक्त कृषि आराजी वादी, प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि आराजी होने से बंटवारा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था, जहां पर दिनांक 19.06.2015 को मिसल नम्बर 55/2011 को निर्णय एवं डिक्री किया जाकर दिनांक 19.06.2015 के निर्णय की पालना में तहसीलदार को बंटवारा हेतु अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का आदेश दिया गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07.01.2021 को संशोधित अन्तिम डिक्री पारित की गई जिसमें अपीलाट व रेस्पोडेन्टस दोनो को समस्त कृषि आराजी के सम्बन्धित खसरा की कृषि भूमि में से 1/2, 1/2 हिस्सा दिया जाना निहित था परन्तु अन्तिम डिक्री में रेस्पोडेन्ट क्रम–1 को उक्त कृषि आराजी में सबसे अच्छी भूमि खसरा सं–567 में से अपीलांट की अपेक्षा रेस्पोडेन्ट क्रम–1 को अधिक भूमि दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री के अनुरूप रेस्पोडेन्ट क्रम–1 को खसरा नं0–567 की कृषि आराजी में से 0.48 हेक्टर दी गई जबकि अपीलांट को खसरा नं0–567 की कृषि भूमि में से 0.28 हैक्टर भूमि दी गई जो कि पूर्णतया अन्यायपूर्वक निर्णय पर आधारित तथ्य है। जबकि उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते जिरह हेतु पेशी नियत थी जिसमें उक्त पत्रावली को बिना किसी सहमति प्रस्ताव के रेस्पोडेन्ट क्रम–1 द्वारा केम्प कोर्ट में रखवाई गई एवं वहां पर राजस्व अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के कहे अनुसार खाली समझौता पत्र में भी हस्ताक्षर करवाकर यह कहा गया कि आप दोनों का सहमति से बंटवारा कर दिया जायेगा और समस्त खसरा नम्बर में से दोनो को आधी– आधी भूमि दे दी जायेगी जिस पर अपीलांट सहमत हुआ। जिसके पश्चात जानकारी किये जाने पर पता चला कि अपीलांट को खसरा सं0–567 में से 0.28 हेक्टर एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को 0.62 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकोर्ड में दी गई। जो कि पूर्णतया अनुचित एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय में अन्तिम डिक्री पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित नक्शे मे भी बार–बार रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के कहे अनुसार राजस्व अधिकारियो से आपसी मिलीभगत कर बदलाव किये गये एवं अन्तिम डिक्री पारित किये जाने के पश्चात उसमे भी अनेको बार ओवर राइटिंग एवं बदलाव राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा करवाया गया जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतया बनावटी एवं झूठे तथ्यों पर आधारित होने से पूर्णतया निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस की

उक्त समस्त कृषि आराजी पैतृक सम्पत्ति होने से बंटवारा किये जाने पर समस्त सम्पत्ति में से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस आधे– आधे हिस्से की हिस्सेदारी प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। अपीलांट/प्रतिवादी ज्यादा पढ़ा–लिखा नही होने से एवं एक सीदे स्वभाव वाला व्यक्ति होने से एवं पूर्णतया वादी पर पूर्ण भरोसा करते हुये उक्त बंटवारे के वाद में इस उम्मीद पर कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद के अनुसार बराबर–बराबर भूमि दोनो पक्षकारो में कृषि आराजी के समस्त खसरा नम्बर से दी जावेगी जिससे अपीलांट अन्तिम डिक्री के समय सहमति कृषि जोत बंटवारा हेतु मौके पर उपस्थित हुआ जहां पर उसके साथ पूर्णतया अन्यायपूर्वक कार्य किया गया जो कि उसे बाद में जानकारी करने पर ही पता चल पाया। अन्तर्गत धारा 53, 54 आर. टी. एक्ट में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जिसमें कानून संगत सिद्धान्त है कि अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी कृषि आराजी में से समस्त पक्षकारान को उसमें निहित हिस्सा दिया जाना न्यायसंगत होता है। अपीलांट की उक्त कृषि आराजी पैतृक कृषि आराजी होने के कारण उसमें निहित 1/2 हिस्से को पाने का कानूनी अधिकारी हैं एवं कानूनी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये उक्त बंटवारा डिक्री को प्रोपर किये जाकर अपीलांट को उसके हिस्से की 1/2 कृषि आराजी संभलाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अन्त में अधिवक्ता अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 07.01.2021 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र जवाब लिखित बहस मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वादी ने दावा दिनांक 01.07.2011 को पेश किया. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के समक्ष रेस्पोडेन्ट / वादी ने खिलाफ अपीलान्ट / प्रतिवादी के एक बाद धारा 53 54 आर.टी. एक्ट को पेश किया। मूल विषय वस्तु आराजी खसरा नम्बर 566 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.35 हैक्टर कुल 3 किता की 1.26 हेक्टर जमीन ग्राम सुकेत मे स्थित है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 230 7 बीघा 16 बिस्वा थे । उपरोक्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादी मात्र 1/2 1/2 के खातेदार थे जिसका बटवारा पूर्व में हो रहा था खाते अलग अलग नहीं थे जिसका जवाब प्रतिवदी ने दिनांक 24.07.2012 को पेश किया खातेदारी 1/2 1/2 स्वीकार को वादी के अन्य भाई और है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया तथा वादी का वाद स्वीकार किया। एक प्रार्थना पत्र ऑडर 1 रूल 10 सीपीसी का दिनांक 16.01.2012 को पेश हुआ, जिसे नन्दलाल बनाम डालू जी एवं छोटू उर्फ रामकुमार आत्मज डालू जी ने पेश किया, जिसका जवाब वादी ने दिनांक 16.02.2012 के पेश किया तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय एस. डी.ओ. रामगंजमण्डी ने दिनांक 23.03. 2012 को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि वादग्रस्त भूमि तत्कालीन खातेदार करतार सिंह की मृत्यु के पश्चात् लावारिस करार दी गई थी तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में एस्चिड की कार्यवाही अमल में लाई गई थी तथा दिनांक 30.11.1981 करे एस्चिड के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे जिसमे 1 महिने का समय दिया गया था। उक्त उज्रदारी की सूचना पर केवल मांगीलाल व मोहनलाल ही अतिरिक्त जिलाधीश महोदय कोटा के यहां उपस्थित हुये थे। अतिरिक्त जिलाधीश महोदय द्वारा एतराजों को सुनकर एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् की उजदारी स्वीकार कर उनके पक्ष मे उक्त भूमि के सम्बन्ध मे खातेदारी अधिकार दिये है। इस सम्बन्ध में नन्दलाल एवं रामकुंवार ने वर्श 1982 के पश्चात् आज दिन तक

कोई कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 आर 10 (2) सीपीसी निरस्त किया जावे हमने बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया मुताबिक जमाबन्दी वाके ग्राम सुकेत सं–2054–2060 के अनुसार खाता संख्या 284 रकबा खसरा नम्बर 230 की रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा में मांगीलाल पिता रामलाल, मोहनलाल आत्मज डालू जाति माली रेकाडेर्ड खातेदार प्रार्थी ने वर्श 1982 तक उजदारी आदेश पर कोई आपत्ति नहीं की है तथा ना ही किसी सक्षम न्यायालय में इसे चुनौती भी नहीं दी है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था । जिसके विरूद्ध नन्दलाल एवं छोटू उर्फ रामकुमार ने आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की। इस कारण से भूमि पैतृक भूमि नहीं है। दिनांक 19.06.2015 को दोनों पक्षो के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया तथा लोक अदालत की कार्यवाही में दोनो पक्ष उपस्थित हुऐ दोनो पक्षों ने न्यायालय की आदेशिका के साथ–साथ लोक अदालत के राजीनामा फार्म पर भी हस्ताक्षर किये तथा खसरा नम्बर 567 रकबा 0.28 हेक्टर मध्य, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.35 हैक्टर सम्पूर्ण कुल 2 किता की 0.63 हैक्टर प्रतिवादी का दी, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.62 हैक्टर उत्तर व दक्षिण की वादी को दी किन्तु डिक्री मे वादी के 0.62 हैक्टर मे उत्तर दक्षिण लिखने से रह गया। दिनांक 17.08. 2020 को ऑडर 47 रूल 1 धारा 151, 152 का वादी ने अधिनिस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसमे मांगीलाल (अपीलान्ट) दिनांक 26.10.2020 को जये अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दी तथा दिनांक 07.01.2021 को पूर्व की निर्णय एवं डिक्री के सम्बन्ध में 'राजीनामे के साथ अंकित सलंग्न नक्शे के अनुसार पूर्व निर्णय एवं डिक्री में परिवर्तन पर विरोध नहीं किया तत्पश्चात् खसरा नम्बर 567 रकबा 0.48 हैक्टर उत्तर खसरा नम्बर 567 रकबा 0.14 हैक्टर दक्षिण किया गया अर्थात भूमि खसरा नम्बर 567 जो पूर्व डिक्री दिनांक 19.06.2015 को हुई थी में मात्र उत्तर दक्षिण ही जोड़ा गया है उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2021 की अपील अपीलान्ट ने पेश की है। अपीलान्ट रिव्यू की कार्यवाही में दिनांक 26.10.2020 को मांगीलाल की ओर से उसके अधिवक्ता एच.पी. सोनी द्वारा अण्डर टेकिंग पेश की थी. इस कारण से अपीलान्ट को रिव्यू के प्रार्थना पत्र की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 26.10.2020 को ही हो चुकी थी तथा निर्णय दिनांक 07.1.2021 से कोई ग्रिवेंसज अपीलान्ट को थी तो वह तुरन्त अपील पेश कर सकता था जबकि अपीलान्ट ने दिनांक 23.02.2022 को अपील पेश की है, जो कि लगभग 13 माह 16 दिन बाद पेश की है। तथा देरी का कोई युक्तियुक्त एवं बोनाफाईड कारण नहीं बताया है इस कारण से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। इस संदर्भ में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मियाद के बिन्दु के संदर्भ में पारित किये है वह निम्नांकित है–

–स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम चन्द्रवीर सिंह
2023 प्रथम सीजे सिविल पेज नम्बर–194

– अजय डाबरा बनाम प्यारे राम 2023 2023 प्रथम सीजे सिविल पेज नम्बर–8

– अशफाक बनाम कासम
आरआरडी 2023 पेज नम्बर–193

उपरोक्त तीनो ही न्यायिक नजीरो मे विलम्ब के बिन्दु को डिस्कस किया है, तथा देरी का कारण युक्तियुक्त एवं बोनाफाईड होना चाहिए जबकि अपीलान्ट द्वारा जो कारण अपनी अपील में हुई देरी के संदर्भ मे बताया है वह किसी भी रूप मे संतुष्टि पूर्वक नहीं है तथा अपीलान्ट अपने पूरे अपील मेमो मे निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2015 को संशोधित निर्णय

व डिक्री दिनांक 07.01.2021 के माध्यम से निरस्त करवाना चाह रहा है जो कि प्रथम दृष्टया मियाद के बाहर है, क्योंकि निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2015 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 07.01.2021 की जानकारी पहले ही दिन से रही है. इसी प्रकार धारा 9 मियाद अधिनियम यह कहता है कि बिलम्ब के प्रत्येक दिन को स्पष्ट करना पड़ेगा जबकि अपीलान्ट ऐसे स्पष्टीकरण मे पूर्णरूप से असफल रहा है। धारा 152 सीपीसी निर्णयो, डिक्रीयो या आदेशों में संशोधन के प्रावधान को बताती है, जिसके अनुसार लेखन या गणित सम्बन्धित किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमे हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारो मे से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी। रेस्पोडेन्ट द्वारा रिव्यू का जो प्रार्थना पत्र योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था, उसमे पूर्व में हुई डिक्री दिनांक 19.06.2015 के आधार पर जो हिस्से राजीनामे से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को प्राप्त हुए थे उसमे रेस्पोडेन्ट को प्राप्त हिस्सा खसरा नम्बर 567 रकबा 0. 62 हैक्टर दिया था तथा अपीलान्ट को खसरा नम्बर 567 रकबा 0.28 हैक्टर दिया था, जो कि मध्य का था तथा बंटवारा प्रस्ताव मे रेस्पोडेन्ट को जो 0. 62 हैक्टर हिस्सा दिया था वह उत्तर व दक्षिण का दिया था, किन्तु आकस्मिक भूलवश डिक्री में उत्तर व दक्षिण लिखने से रह गया था, जिसे न्यायालय द्वारा अपने रिव्यू के आदेश से सही किया, जिसमें अपीलान्ट प्रतिवादी की सहमति भी थी. इस कारण से सहमति से हुई डिक्री को अपीलान्ट अपील के माध्यम से चेलेन्ज नहीं कर सकता है। अपीलान्ट विवादग्रस्त कृषि आराजी को पैतृक आराजी बताता हुआ आ रहा है, जिसके सम्बन्ध मे न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03. 2013 को अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि वादग्रस्त आराजी किसी भी रूप मे पैतृक सम्पत्ति नहीं थी, क्योकि वादग्रस्त आराजी के खातेदार करतार सिंह थे, जिनकी मृत्यु लावारिस करार दे दी गई थी और इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा एस्चिट की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी और उसके एस्चिट की कार्यवाही की पालना में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट खोतदार बने थे इस कारण से किसी भी रूप में भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं थी। इस कारण से अपीलान्ट का यह कहना कि सम्पत्ति पैतृक थी बलहीन तथ्य है। दिनांक 19.06.2015 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रपत्र पर वादी मोहनलाल एवं प्रतिवादी मांगीलाल की उपस्थिती के हस्ताक्षर हो रहे है, जिस पर पहचानकर्ता के रूप में रामचन्द्र एवं प्रतिवादी की ओर से बालमुकन्द आत्मज किशन लाल निवासी सुकेत के हस्ताक्षर है तथा अंतिम डिक्री जो पारित की गई। जिसमे किसी दोनो पक्षकारान् के हिस्से तय किये उस समय में दोनो पक्षकारों के उपस्थिति मे हस्ताक्षर हो रहे है। इस कारण से मात्र यह कह देना कि खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये किसी भी रूप से संभव नहीं है तथा यह तथ्य न्यायिक प्रक्रिया पर शक करने जैसा है। दिनांक 03.09.2020 को वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा रिव्यू का जो प्रार्थना पत्र पेश किया था (अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त हुई पत्रावली में लाल वाली पत्रावली) माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जिसमे आदेश दिनांक 07.01.2021 मे यह तथ्य अंकित आ रहा है कि राजीनामे के साथ अंकित सलंग्न नक्शे के अनुसार पूर्व निर्णय एवं डिक्री में परिवर्तन पर विरोध नहीं है अर्थात रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र पर भी अपीलान्ट को उस समय कोई उज्र नहीं था, मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान करने की गरज से तथा भूमि को विवादग्रस्त बनाने की गरज से न्यायिक प्रक्रिया का बेजा लाभ उठाने की गरज से यह अपील पेश की है जो सारहीन होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने अपने पूरे अपील मेमो यही तथ्य अंकित किया है कि अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट की अपेक्षा कम भूमि मिली है, जबकि वास्तविकता में

वादग्रस्त कृषि आराजी 3 किता की 1.26 हैक्टर में से खसरा नम्बर 609 की 0.35 सम्पूर्ण आराजी अपीलान्ट को दी तथा साथ ही खसरा नम्बर 567 की 0.28 हैक्टर मध्य अपीलान्ट को दी तथा इन दोनों का कुल योग 0.63 हैक्टर होता है तथा रेस्पोडेन्ट को 10.62 हैक्टर जमीन मिली है, इस प्रकार अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट से 1 बिस्वा अधिक भूमि मिली है, इस कारण से अपीलान्ट का यह कहना कि उसे बंटवारे मे भूमि कम मिली है, दस्तावेजो के समक्ष साबित तथ्य नहीं है। अन्त में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील अपीलांट को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 07.01.2021 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया ।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा दौराने बहस अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। हस्तगत निर्णय दिनांक 07.01.2021 का है। अपीलांट की ओर से अपील दिनांक 23.02.2022 को पेश की गई है। चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि के बाद की गयी है, अतः सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का निस्तारण किया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 19.08.2015 से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण मूल रूप से राजस्व लोक अदालत कैम्प, सुकेत में उभयपक्षकारों की सहमति से किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न बंटवारे से सम्पत्ति नक्शा ट्रेस पर प्रतिवादी अपीलांट्स के हस्ताक्षर अंकित है तथा सहमति का कृषि जोत बंटवारा प्रपत्र तथा आदेशिका दिनांक 19.062015 पर भी वादी प्रतिवादी तथा अन्य गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है। अतः स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण प्रतिवादी अपीलांट्स की सहमति से लोक अदालत कैम्प में 19.06. 2015 को हुआ। इसी प्रकार वादी प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 01 एवं धारा 151, 152 जा. दी. का भी प्रतिवादी अपीलांट्स को संज्ञान था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.10.2020 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता श्री एच. पी. सोनी ने अंडरटेकिंग दी। आदेशिका दिनांक 07.01.2021 से स्पष्ट है कि राजीनामा के आधार पर पूर्व में पारीत निर्णय एवं डिकी में परिवर्तन का विरोध नही किया गया। अतः उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलांट को प्रारंभ से हस्तगत प्रकरण तथा पारीत संशोधित निर्णय व डिकी दिनांक 07.01.2021 की प्रारंभ से जानकारी थी। अपीलांट्स प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट में मुख्यतः देरी का कारण स्वयं की बीमारी एवं वृद्धावस्था को बताया है, परंतु प्रार्थी किसी गंभीर बीमारी के कारण किसी अस्पताल में इस अवधि में लम्बे समय भर्ती रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 228 के अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस निर्धारित की गई है। हस्तगत अपील दिनांक 23.02. 2022 को निर्णय व डिकी दिनांक 07.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। हस्तगत अपील लगभग 411 दिवस पश्चात् प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण व निर्णय तथा डिकी दिनांक 07.01.2021 की अपीलांट्स प्रार्थी को प्रारंभ से ही समुचित जानकारी थी। अपीलांट प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट में विलम्ब का पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट अस्वीकार किया जाता है तथा मियाद के बिन्दु

पर अपील अपीलांट खारिज योग्य है। प्रथम दृष्टया गुणावगुण पर भी प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट का यह कथन गलत है कि उन्हें बंटवारे में बहुत कम भूमि प्राप्त हुई। स्वयं प्रतिवादी अपीलांट ने लोक अदालत में प्रश्नगत भूमि के बंटवारे को स्वीकार किया है तथा संशोधित डिक्री दिनांक 07.01.2021 पर भी सूचना के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि लोक अदालत में सहमति के बाद पक्षकारों द्वरा दी गयी सहमति के सम्बंध में बाद में इन्कार करना न तो उचित है तथा ना ही विधि सम्मत है। संभवतः संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2021 को चुनौती देने की आड़ में अपीलांट प्रतिवादी लोक अदालत में हुए निर्णय दिनांक 09.06.2015 को भी खारिज करवाना चाहता है। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से भी सहमत नहीं है कि प्रश्नगत विभाजन में अपीलांट को बहुत कम भूमि प्राप्त हुई है। अतः हस्तगत अपील में आगे और गुणावगुण या विवेचन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट अस्वीकार किया जाता है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 55/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2021 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judi/Govt.
Part IV - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2023/155

मांगीलाल पुत्र रामलाल जाति माली निवासी होली का खुट, माली मोहल्ला, सुकेत तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज.

—अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल आत्मज डालू जाति माली निवासी होली का खुट, माली मोहल्ला, – सुकेत तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा राज.
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा

—रेस्पोंडेन्ट

वादपत्र संख्या: 55/2011

मोहनलाल वल्द रामलाल जाति माली निवासी होली का खुट माली मौहल्ला सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. मांगीलाल वल्द रामलाल जाति माली निवासी होली का खुट माली मौहल्ला सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 55/2011 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 13.10.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री प्रद्युम्न शर्मा, एवं रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से श्री उत्पल शर्मा एवं रेस्पो0 02 की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्ड़ी, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 55/2011 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 13.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा